कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था / बी–2 / 45002 / प्रधाना–स्था / 2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्री विमल कुमार शर्मा प्रधानाचार्य राआउमावि–भीम, राजसमन्द का स्थानान्तरण राआउमावि–पीपला राजसमन्द किया गया था जिसके विरूद्ध श्री विमल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 766 / 2018 श्री विमल कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य दायर की।

अपील संख्या 766 / 2018 के क्रम में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2018 द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों मुख्यतः अपीलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाहित में यह आदेश दिया गया अपीलार्थी दिनांक 27.06.2018 तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन पेश करे एवं सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10.07.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारण कर उक्त निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान करे।

माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के पिता के गंभीर हेन्सन रोग और प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव पार्किन्सन व माता के मेलिगनेन्ट हाइपरटेन्शन रोग से पीडित होने के कारण अपना पदस्थापन जयपुर, अजमेर अथवा टोंक जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर करने की परिवेदना की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक का पदस्थापन सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य हित / छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। इसी को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी **श्री विमल कुमार शर्मा का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवीन स्थानान्तरित स्थान राउमावि–पीपला, राजसमन्द में तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / अपील / 766 / 2018 दिनांक 16.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा ,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा राजसमन्द।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)